रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1970/अग्रहायण 17, 1892

No. 201] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1970/AGRAHAYANA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th December 1970

SUBJECT :—*Import of Dates S. No. 21 (b)/IV) from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports, excluding Iran and Iraq, during October, 70-September, 71 on annual basis.*

No. 178 ITC/(PN)/70.—It has been decided to grant licences for import of Dates from Saudi Arabia, Muscat and other Persian Gulf Ports, excluding Iran and Iraq on annual basis, during October, 70- September, 71 licensing period on the following basis :—

	Quota
(i) Established importers having past imports of Dates from Saudi Arabia, Muscat, etc. up to Rs. 12,500/-.	Minimum value licence of Rs. 12,500/- each.
(ii) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia Muscat etc. between Rs. 12,501/- and Rs. 1·5 lakhs.	50%, subject to a minimum of Rs. 12,500/-.

	Quota
(iii) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia, Muscat etc. between Rs. 1,50,001 and Rs. 5 lakhs.	45%, subject to a minimum of Rs. 75,000/-
(iv) Established importers having past imports of dates from Saudi Arabia, Muscat etc. over Rs. 5 lakhs.	40%, subject to a minimum of Rs. 2,25,000/-

2. The licences will be granted on the basis of past imports of dates from these countries in any one of the years of the prescribed basic period, namely 1956-57 to 1967-68.

3. Established Importers, who had imported this item from the above countries by Sailing vessels/Steamers may accordingly submit their applications to the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on or before the 28*th December*, 1970. in the usual form and manner complete in all respects. Incomplete applications are liable to be rejected. They should clearly state the specific country from which they want to effect their imports. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in the past and were accepted by them for issue of licences for import of Dates from Saudi Arabia. Muscat and other Persian Gulf Ports excluding Iran and Iraq. They should, however, quote details of licences obained in the preceding two periods. Where, however, the established importers are applying for the first time, they are required to produce unimpechable documents relating to past imports of 'Dates' from that particular country from which imports were made during any one year within the prescribed basic years.

4. Import licences granted to the eligible established importers will be valid for import from only that particular country from which they have past imports and their validity period will be upto the 30th June, 1971. No extension will be allowed under any circumstances. The importers are, however, free to utilise the full value of the licences any time within their validity period.

5. Licences issued in terms of above paragraphs will be valid for import up to 60% by Sailing vessels and the balance by Steamers etc.

6. It may be noted that the minimum value of import licences for Dates from Saudi Arabia, Muscat etc. during October '70-September '71 has been enhanced to Rs. 12,500/- (Rupees twelve thousands and five hundred only) subject to the provisions contained in para 45(2) of I.T.C. Hand Book of Rules & Procedure, 1970 with regard to division of quotas.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 1970

विषय :—अक्तूबर 1970 से सितम्बर, 1971 के दौरान वार्षिक आधार पर साऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों से (ईरान और ईराक को छोड़कर) खजूरों (क्रम सं० 21 (बी)/4) का आयात ।

सं० 178 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—अक्टूबर, 1970 सितम्बर, 1971 के दौरान ईरान तथा ईराक को छोड़कर साऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य

पत्तनों से खजूरों के आयात के लिए निम्नलिखित आधार पर आयात लाइसेंस जारी करने का निश्चय किया गया है :—

	कोटा
(1) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में साऊदी अरब, मसकत आदि से 12500/– रुपये तक खजूरों का आयात किया है ।	प्रत्येक 12500/–रुपये का न्यूनतम लाइसेंस मूल्य
(2) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में साऊदी अरब, मसकत आदि से 12501/– से 150,000/– रुपये तक खजूरों का आयात किया है ।	50 प्रतिशत (न्यूनतम 125000/ रुपये के अधीन)
(3) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में साऊदी अरब, मसकत आदि से 1,50,001/– से 5,00,000/– रुपये तक खजूरों का आयात किया है ।	45 प्रतिशत (न्यूनतम 75000/ रुपये के अधीन)
(4) वे संस्थापित आयातक जिन्होंने भूतकाल में साऊदी अरब, मसकत आदि से 5 लाख रुपये से ऊपर खजूरों का आयात किया है ।	40 प्रतिशत (न्यूनतम 2,25,000/ रुपये के अधीन)

2. लाइसेंस निर्धारित मूल अवधि के वर्षों के किसी एक वर्ष अर्थात 1956–57 से 1967–68 में इन देशों से भूतकाल में किये गए खजूरों के आयातों के आधार पर जारी किए जाएगें ।

3. संस्थापित आयातक जिन्होंने उपर्युक्त देशों से इस मद का आयात पाल पोतों/स्टीमरों द्वारा किया था वे तदनुसार 28 दिसम्बर, 1970 को अथवा इस से पहले निर्धारित प्रपत्र तथा रीति में सब प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, बम्बई को प्रस्तुत कर सकते हैं । अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं । आयातकों को उस देश का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिस से वे आयात करना चाहते हैं । भूतकाल में किए गए आयात संबन्धी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं बशर्ते कि भूतकाल में वे दस्तावेज सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हों और उस ने ईरान तथा ईराक को छोड़कर साऊदी अरब, मसकत तथा फारस की खाड़ी के अन्य पत्तनों से खजूरों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए उन दस्तावेजों को स्वीकार किया हो । लेकिन आयातकों को पिछली दो अवधियों में प्राप्त किये गए लाइसेंसों का उल्लेख करना चाहिए । परन्तु यदि संस्थापित आयतक प्रथम बार आवेदन कर रहे हों तो उन के लिए यह आवश्यक होगा कि वे निर्धारित मूल वर्षों में किसी वर्ष के दौरान उस विशेष देश से भूतकाल में किए गए खजूरों के आयात से सम्बन्धित त्रुटिहीन दस्तावेज प्रस्तुत करें ।

4. पात्र संस्थापित आयातकों को जारी किए गए लाइसैंस केवल उसी विशेष देश से आयात के लिए वैध होंगे जिससे कि उन्होंने भूतकाल में आयात किया है और उन की वैधता अवधि 30 जून 1971 तक होगी। वैधता अवधि में किसी भी स्थिति में वृद्धि नहीं की जायगी। परन्तु लाइसैन्स की वैधता अवधि में उसके पूर्ण मूल्य का किसी भी समय उपयोग करने की आयातकों को छूट है।

5. उपर्युक्त कंडिकाओं की शर्तों के अनुसार जारी किए गए लाइसैंस पोतपालों द्वारा 60 प्रतिशत तक के आयात के लिए तथा स्टीमरों आदि द्वारा शेष आयात के लिए वैध होंगे।

6. इसे ध्यान में रखा जाए कि अक्टूबर, 1970 से सितम्बर, 1971 के दौरान साऊदी, अरब मसकत आदि से खजूरों के आयातक के लिए लाइसैंसों के न्यूनतम मूल्य को केवल आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा कार्यविधि हैंडबुक, 1970 की कंडिका 45(2) में निहित व्यवस्थाओं के अधीन कोटा बंटवारे के सम्बन्ध में 12,500/–रुपये (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र) तक बढ़ा दिया गया है।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970